[1][TABLE

S. No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	In respect of appeal under rule 2.5	500.00	2.6
2.	In respect of medical certificate to be charged by the doctor	15.00	2.7
3.	In respect of duplicate licence in Form 7	200.00	2.9, 2.10, 2.13 13.1
4.	In respect of Driver's Badge or for duplicate badge	300.00	2.26, 13.1]

CHAPTER III

LICENSING OF THE CONDUCTOR OF STAGE CARRIAGES

3.1. Licensing Authority.– The Licensing Authority for issue of the conductor's licence shall be the District Transport Officer so appointed for the district or the Motor Vehicle Inspector specially authorised by the State Government to perform the duties of the Licensing Authority.

3.2. Conductor-Provision in Stage Carriages of.– (1) Every Stage Carriage shall, in addition to the driver, carry a conductor, whose duties in addition to those specially mentioned shall be to attend on the passengers and would be responsible for the observance of the provisions of these rules. Provided that where in emergency it becomes difficult for the permit holder to provide for a conductor of stage carriage, or where a conductor on duty, for reasons beyond his control, cannot perform his duties, the driver of the stage carriage may for a period not exceeding one month act as a conductor of stage carriage without holding the conductor's licence under section 30.

(2) Any person other than the driver of the stage carriage may act as a conductor without holding the conductor's licence for a period not exceeding one month provided that:–

(a) he intimate to do so to the Licensing Authority within whose jurisdiction he intends to act as a conductor in Form R.S. 3.6;

(b) he is not disqualified for holding conductor's licence; and

(c) he has not on previous occassion acted as a conductor without a licence for a total period exceeding one mouth.

---

1. Noti. No. F. 7(4)/Pari/Rules/H.Q./11/92/12004, dt. 30.6.2015, S.O. 77 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.7.2015)

[1][सारणी

प्रयोजन	राशि (रुपयों में)	नियम
2	3	4
नियम 2.5 के अधीन अपील के बारे में	500.00	2.6
चिकित्सा प्रमाण–पत्र के बारे में, चिकित्सक द्वारा प्रभारित की जाने वाली	15.00	2.7
अनुलिपि अनुज्ञप्ति के बारे में प्ररूप 7 में	200.00	2.9, 2.10, 2.13 13.1
ड्राइवर के बैज या डुप्लीकेट बैज के बारे में	300.00	2.26, 13.1]

अध्याय—3

मंजिली गाड़ियों के परिचालकों को लाइसेंस

3.1. अनुज्ञापन-प्राधिकारी.— परिचालक का लाइसेंस जारी करने के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिये इस प्रकार नियुक्त जिला परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी र्तव्यों का निर्वहन करने के लिये विशेष रूप से प्राधिकृत मोटर यान निरीक्षक होगा।

3.2. मंजिली गाड़ी में परिचालक का प्रावधान.— (1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी में चालक के साथ, परिचालक होगा। विशेष रूप से वर्णित के अतिरिक्त, उसका कर्त्तव्य यात्रियों का ध्यान रखना होगा वह इन नियमों के उपबंधों के पालन के लिये उत्तरदायी होगा। परन्तु जहां आपातकाल में धारक के लिये किसी मंजिली गाड़ी में परिचालक देना कठिन हो जाये या जहां कार्यरत लक, उसके नियंत्रण के बाहर के कारणों के लिये, अपना कर्त्तव्य नहीं कर सके, तो मंजिली गाड़ी लक धारा 30 के अधीन परिचालक का लाइसेंस लिये बिना एक माह तक की अवधि के लिये गाड़ी के परिचालक के रूप में कार्य कर सकेगा।

(2) मंजिली गाड़ी के चालक के अलावा अन्य व्यक्ति बिना परिचालक का लाइसेंस लिये एक माह अवधि के लिये परिचालक के रूप में काम कर सकेगा, बशर्ते कि :—

(क) वह प्ररूप आर.एस. 3.6 में अनुज्ञापन–प्राधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में वह परिचालक के रूप में कार्य करना चाहता है, ऐसे अभिप्राय की सूचना दे,

(ख) वह परिचालक का लाइसेंस धारण करने के लिये निरर्ह (अयोग्य) नहीं हो, और

(ग) उसने पहले कभी बिना लाइसेंस लिये एक माह से अधिक की कुल अवधि के लिये परिचालक के रूप में कार्य नहीं किया हो।

. सं. एफ. 7(4) परि./नियम/एच.क्यू./11/92/12004, दिनांक 30.6.2015, एस.ओ. 77 . राजपत्र विशेषांग भाग 4(ग)(1) दिनांक 1.7.2015 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

3.3. Application for grant of conductor's licence.– The application for conductor's licence required under sub-section (1) of section 30 of the Act shall be made in Form R.S. 3.1 and shall be accompanied by:–

(a) medical certificate in Form 3.2;

(b) valid Adult First Aid certificate issued by the St. Johns Ambulance Association of India in Form R.S. 3.9;

(c) Two copies of the recent photograph;

(d) proof of residence of the district in the manner required by rule 4 of the Central rules and the prescribed fees.

(2) Upon the receipt of an application for conductor's licence the Licensing Authority on making such enquiries as may reasonably be necessary to establish the identity of the applicant and on ascertaining that the applicant is not disqualified under section 31 of the Act for holding or obtaining conductor's licence, may issue such licence in Form R.S. 3.3.

3.4. Qualification for grant of Conductor's licence.– No person shall be granted a conductor's licence unless he satisfies the Licensing Authority that:–

(i) he has adequate knowledge of the provisions of the Act and the rules made thereunder relating to the duties and functions of a conductor.

(ii) he possesses a good moral character.

(iii) he possesses a valid First aid certificate issued by the St. Johns Ambulance Association of India.

(iv) he has passed tenth standard or equivalent or higher examination and possesses working knowledge of the language or languages of the area in which he intends to work as a conductor. Provided the provisions of sub-clause (iv) shall not apply to the persons who was granted conductors licence prior to coming in to force of these rules.

3.5. Change of Residence.– The holder of a conductor's licence shall, except in case of temporary absence, not involving the change of his residence for a period exceeding three months, report any change of his temporary or permanent address as mentioned on the licence in Form R.S. 3.10 to the Licensing Authority by whom the licence was granted.

3.6. Renewal of conductors licence.– (1) The application for renewal of a conductor's licence shall be made in Form R.S. 3.4 and shall be accompanied by the conductor's licence, a medical certificate in Form R.S. 3.2 and the prescribed fee.

(2) Upon receipt of an application for the renewal of conductor's licence, the Licensing Authority may after making such enquiries as he may deem necessary renew the licence.

(3) The Licensing Authority renewing the conductor's licence under section 26 read with the provisions of sub-section (6) of Section 15 shall intimate the facts of the renewal in Form R.S. 3.5 to the Licensing Authority by which the licence was issued.

3.3 परिचालक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन.— इस अधिनियम की धारा 30 की उप- धारा (1) के अधीन वांछित परिचालक के लाइसेंस का आवेदन प्ररूप आर.एस. 3.1 में किया जायेगा और इसके साथ निम्नलिखित होंगे:—

(क) चिकित्सकीय प्रमाण—पत्र प्ररूप आर.एस. 3.2 में;

(ख) सेंट जॉन एम्बुलैंस एसोसिएशन ऑफ अण्डिया द्वारा प्ररूप आर.एस. 3.9 में जारी किया गया वयस्क प्राथमिक सहायता का विधिमान्य प्रमाण—पत्र;

(ग) हाल ही के फोटोग्राफ की दो प्रतियां;

(घ) केन्द्रीय नियमों के नियम 4 द्वारा चाहे गये तरीके से जिले में निवास स्थान का प्रमाण और निर्धारित फीस।

(2) परिचालक लाइसेंस के लिये आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक की पहचान करने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक ऐसी जांच करने पर और यह पता लगाने पर कि आवेदक नियम की धारा 31 के अधीन परिचालक का लाइसेंस धारण या प्राप्त करने के लिये निरर्ह नहीं है, प आर.एस. 3.3 में ऐसा लाइसेंस जारी कर सकेगा।

3.4. परिचालक के लाइसेंस के लिये अर्हतायें.— किसी व्यक्ति को परिचालक का लाइसेंस नहीं या जायेगा, जब तक कि वह अनुज्ञापन—प्राधिकारी का यह समाधान नहीं कर दे कि:—

(i) उसे परिचालक के कर्त्तव्य और कार्यों से सम्बन्धित इस अधिनियम और नियमों के अधीन उपबन्धों का पर्याप्त ज्ञान है।

(ii) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है।

(iii) उसके पास सेंट जॉन एम्बुलैंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया विधिमान्य प्राथमिक सहायता प्रमाण—पत्र है।

(iv) उसने दसवीं कक्षा या उसके समान या उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसे परिचालक के रूप में कार्य करने के लिये उस क्षेत्र की भाषा या भाषाओं का काम चलाऊ ज्ञान है। परन्तु उपखण्ड (iv) के उपबंध उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जिसे इन नियमों के लागू होने के पहले से ही परिचालक का लाइसेंस दे दिया गया है।

3.5. निवास स्थान में परिवर्तन.— तीन माह से अनधिक अवधि के लिये निवास स्थान के न से हुई अस्थाई अनुपस्थिति को छोड़कर, परिचालक के लाइसेंस का धारक लाइसेंस में दिये पने अस्थाई या स्थायी पते में परिवर्तन की सूचना उस अनुज्ञापन—प्राधिकारी को प्ररूप 3.10 में सने वह लाइसेंस दिया था।

3.6. परिचालक लाइसेंस का नवीकरण.— (1) परिचालक के लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्ररूप आर.एस. 3.4 में किया जायेगा और उसके साथ परिचालक का लाइसेंस, प्ररूप आर.एस. कित्सीय प्रमाण—पत्र और निर्धारित फीस होगी।

) परिचालक लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी के बाद जो वह आवश्यक समझे, लाइसेंस को नवीकृत कर सकेगा।

) धारा 15 की उप—धारा (6) के साथ पठित धारा 26 के उपबन्धों के अधीन परिचालक का वीकृत करते समय अनुज्ञापन प्राधिकारी प्ररूप आर.एस. 3.5 में नवीकरण के तथ्यों की सूचना पन प्राधिकारी को देगा, जिसने वह लाइसेंस जारी किया था।

3.7. Appellate Authority.– The Authority empowered under Section 33 and under sub-section (4) of section 34 to hear the appeal against the order of Licensing Authority shall be the Regional Transport Officer.

3.8. Conduct and hearing of appeals.– (1) An appeal under rule 3.7 shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum setting forth concisely the grounds of objection to the order, and shall be accompanied by the prescribed fee in rule 3.17 and a certified copy of the order.

(2) When an appeal is filed, a notice shall be issued to the authority against whose order the appeal is preferred in such form as the appellate Authority may direct.

(3) The Appellate Authority after giving an opportunity to the parties to be heard and after such further enquiry, if any, as it may deem, necessary may confirm vary and set aside the order for which the appeal is preferred and make an order accordingly.

3.9. Duties and conduct of conductor of stage carriages.– A conductor of the stage carriage:–

(i) shall, as far as, may be reasonably possible, having regard to his duties be responsible for due observance of the provisions of the Act and these rules;

(ii) shall not smoke while on duty;

(iii) shall behave in a civil and orderly manner to the passengers and intending passengers;

(iv) shall be cleanly dressed in the following uniforn:–

(a) khaki bush-shirt or Coat with four pockets with flaps

(b) khaki full pant

(c) khaki Cap or turban

(v) shall maintain the vehicle in a clean and sanitary condition;

(vi) shall not solicit custom save, in civil and quite manner;

(vii) shall not interfere with persons boarding or preparing to board in other vehicles;

(viii) shall not allow any person to be carried in the stage carriage in excess of the seating capacity specified in the certificate of registration of the vehicle, and any additional number of passengers permitted under the terms of the permit to be carried standing in the vehicle;

(ix) shall not, save for good and sufficient reason, refuse to carry any passenger tendering the legal fare;

Explanation.– Where legal fare is less than rupee 1/– the demand by such person for change in excess of the sum shall be the good and sufficient reason for refusing to carry such person for the purpose of this sub-rule;

(x) shall not demand or accept from any passenger or hires any fare or hire for the carriage of goods other than the fare or hire prescribed by competent authority;

(xi) shall not allow any passenger to be carried in any stage carriage without payment of the legal fare;

अपील प्राधिकारी.— अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध धारा 33 तथा धारा 34 की (4) के अधीन अपील सुनने के लिये सशक्त प्राधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होगा।

अपीलों का संचालन और सुनवाई.— (1) नियम 3.7 के अधीन आदेश के विरुद्ध कोई ... के रूप में, दो प्रतियों में, संक्षेप में आक्षेप के आधारों को देते हुए की जायेगी और उसके ... नियम 3.17 में निर्धारित फीस और आदेश की प्रमाणित प्रति होगी।

(2) जब कोई अपील फाइल की जाये, तो उस प्राधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील ..., ऐसे प्ररूप में, जैसा अपील प्राधिकारी निर्देश दे, एक नोटिस जारी किया जायेगा।

(3) अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद और ऐसी और जांच, यदि ... करने के बाद, जैसी वह आवश्यक समझे, उस आदेश को, जिसकी अपील की गई है पुष्ट, ... और अपास्त कर सकेगा और उसके अनुसार आदेश करेगा।

3.9. मंजिली गाड़ी के परिचालक के कर्त्तव्य और आचरण.— एक मंजिली गाड़ी का ...—

(i) जहां तक युक्तियुक्त रूप से संभव हो, अपने कर्त्तव्यों का ध्यान रखते हुए इस अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के उचित पालन के लिये उत्तरदायी होगा;

(ii) जब ड्यूटी पर हो, धूम्रपान नहीं करेगा;

(iii) यात्रियों और इच्छुक यात्रियों के साथ सभ्य और व्यवस्थित तरीके से व्यवहार करेगा;

(iv) निम्नलिखित वर्दी को सफाई से पहनकर रहेगा:—

(1) खाकी बुशर्ट या कोट, जिसमें ढक्कनदार चार जेबें हों,

(2) खाकी पूरा पेन्ट,

(3) खाकी टोपी या साफा :

(v) यान को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखेगा;

(vi) सभ्य और शान्त तरीके के अलावा, कोई ग्राहकी प्राप्त नहीं करेगा;

(vii) किसी दूसरे यान में चढ़ते या चढ़ने की तैयारी करते व्यक्तियों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(viii) मंजिली गाड़ी में यान के रजिस्ट्रीकरण–प्रमाण–पत्र में वर्णित बैठने की क्षमता और परमिट की शर्तों के अधीन यान में खड़े ले जाने के लिये अनुमोदित यात्रियों की अतिरिक्त संख्या से अधिक किसी व्यक्ति को खड़े रहने की अनुमति नहीं देगा;

(ix) बिना अच्छे और पर्याप्त कारणों के, विधिक किराया देने वाले किसी यात्री को ले जाने से इन्कार नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण.— जहां विधिक किराया एक रुपये से कम हो, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा उस राशि से अधिक छुट्टे मांगना ऐसे व्यक्ति को ले जाने से मना करने के लिये इस उपनियम के प्रयोजनार्थ एक अच्छा और पर्याप्त कारण होगा;

(x) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किराये या भाड़े के अलावा, किसी यात्री से कोई किराया या माल ले जाने का भाड़ा नतो मांगेगा या न स्वीकार करेगा;

(xi) विधिक किराया दिये बिना किसी यात्री को किसी मंजिली गाड़ी में ले जाने की अनुमति नहीं देगा;

(xii) shall, where the goods are carried on a vehicle in addition to passengers, take all reasonable precaution to ensure that the passengers are not endangered or unduly inconvenienced by the presence of goods;

(xiii) shall not save for good and sufficient reasons require any person who has paid legal fare to alight from the vehicle before the conclusion of the journey;

(xiv) shall not loiter or unduly delay upon any journey but shall proceed to the destination as near as may be in accordance with the time table pertaining to the vehicle or where there is no such time table with all reasonable despatch;

(xv) shall in the event of the vehicle being unable to proceed to its destination on account of mechanical breakdown out other cause beyond the control of the driver or the conductor arrange to convey the passengers to their destination in some other similar vehicle, or if unable to arrange within a period of an hour the failure of the vehicle shall on demand refund to each passenger the proper proportion of the fare relating to the non-completion of the journey for which the passenger had paid the fare;

(xvi) shall not cause allow anything to be placed in the vehicle in such a manner as to obstruct the entry of exist of passenger;

(xvii) shall issue a ticket immediately on payment of legal fare or freight showing the place from where he is boarding the vehicle and his destination and the fare charged by the passenger except where arrangement outside the vehicle for the issue of ticket in advance to the intending passengers on payment of the legal fare has been made;

(xviii) shall at the conclusion of any journey, make reasonable search in the vehicle for anything left by any passenger and shall take into his custody anything so found by him or by any other person in such vehicle and as soon as may be make over the same to a responsible employee of the holder of the permit for the vehicle or to the officer-in-charge of the nearest police station;

(xix) shall not cause or allow to enter into or to be placed or carried in a vehicle any person whom he knows or has reasons to believe to be suffering from any infectious or contagious disease or the corpse of any person whom he knows or reasons to believe to be suffering from any infectious or contagious disease or the corpse of any person whom he knows or reasons to believe to have been suffering from any such disease;

(xx) shall notwithstanding anything contained in clause (xix) on application in writing by a registered medical practitioner allow a person suffering from an infectious or contagious disease to be carried in such stage carriage provided that no person save a person or persons in attendance on the sick person shall be carried in the vehicle at the same time;

(xii) जहां यात्रियों के साथ यान में माल ले जाया जाता है, वहां वह यह सुनिश्चित करने के लिये सभी युक्तियुक्त सावधानी बरतेगा कि यात्रियों को माल की उपस्थिति से कोई खतरा या अनुचित असुविधा न हो;

(xiii) किसी अच्छे और पर्याप्त कारण को छोड़कर, किसी यात्री को जिसने विधिक किराया दिया है, यात्रा के पूरी होने से पहले यान से उतरने के लिये नहीं कहेगा;

(xiv) किसी यात्रा पर न तो इधर–उधर फिरेगा या न अनुचित देरी करेगा, परन्तु गन्तव्य स्थान की ओर, यान सम्बन्धी समय सारिणी के अनुसार, या जहां समय सारिणी नहीं है, तो युक्तियुक्त प्रेषण के साथ बढ़ेगा;

(xv) मशीनरी की किसी खराबी के कारण या अन्य कारण से, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, यान अपने गन्तव्य स्थान को जाने के अयोग्य हो जाने की दशा में, वह यात्रियों को गन्तव्य स्थान पर किसी दूसरे समान यान द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था करेगा या यदि यान खराब हो जाने के एक घण्टे बाद तक की अवधि में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके, तो मांग करने पर प्रत्येक यात्री को पूरी नहीं हुई यात्रा से सम्बन्धित किराया, जो यात्री ने दिया था, उचित आनुपातिक हिस्सा उसको वापस देगा;

(xvi) यान में किसी वस्तु को इस प्रकार नहीं रखवायेगा या रखने की अनुमति नहीं देगा, जिससे यात्रियों के प्रवेश या बाहर निकलने में बाधा हो;

(xvii) विधिक किराये या भाड़े का भुगतान करने पर यात्री को तुरन्त टिकिट जारी करेगा, जिसमें उसके चढ़ने का स्थान और उसका गंतव्य स्थान और दिया गया किराया दिखाया जायेगा, सिवाय जहां यान के बाहर अग्रिम में विधिक किराये का भुगतान करने पर इच्छुक यात्रियों को टिकट जारी किये जाते हैं;

(xviii) किसी यात्रा की समाप्ति पर वह किसी यात्री द्वारा यान में छोड़ी गई किसी वस्तु के लिये युक्तियुक्त खोज करेगा और इस प्रकार उसके द्वारा या किसी दूसरे द्वारा पाई गई वस्तु को अपने कब्जे में ले लेगा और यथाशीघ्र उसे यान के परमिट–धारक के उत्तरदायी कर्मचारी को या नजदीक के पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को सौंप देगा;

(xix) किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि वह व्यक्ति किसी छूत के या संक्रमण वाले रोग से ग्रसित है या किसी व्यक्ति के शव को, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि वह ऐसे किसी रोग से ग्रसित रहा है, यान में प्रवेश करने की या रखने की या ले जाने की अनुमति नहीं देगा;

[illegible] खण्ड (xix) में किसी बात के होते हुए भी, चालक किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा लिखित में आवेदन करने पर किसी छूत या संक्रमण वाले रोग से ग्रसित व्यक्ति को ऐसी [illegible] गाड़ी में ले जाने की अनुमति दे सकेगा परन्तु इस प्रकार के ग्रसित व्यक्ति की [illegible] करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उस यान में उसी [illegible] ले जायेगा;

(xxi) shall be responsible, when a person suffering from infectious or contagious disease, or corpse of any such person has been carried in a stage carriage for reporting the fact to a medical officer incharge of the nearest Municipality, Local Body or Government dispensary and to the owner of the vehicle and neither the owner nor the driver nor the conductor shall cause or allow any person to use the vehicle until the driver and conductor and the vehicle have been disinfected in such manner as the said medical officer may specify and a certificate to this effect has been obtained from such medical officer;

(xxii) shall be on the lookout for other motor vehicle approaching from behind and effectively sign their approach to the drivers;

(xxiii) shall assist the passengers in the loading and unloading of luggage and shall take all reasonable precautions to prevent luggage being miscarried oı lost on the way;

(xxiv) shall while on duty display on the right chest a black plate made of plastic of size of 8 cms. x 1 ½ cms. inscribed on their name in bold white letters of the size 0.05 cms. in hindi. The cost of the name plate shall be borned by them;

(xxv) shall not while on duty be under the influence of intoxicating drink or drug;

(xxvi) shall on demand by any passenger produce the complaint book for recording such remarks as the passenger may desire to make thereon in which the passenger will be entitled to record any legitimate complaint in connection with a stage carriage service. Such complaints will be written clearly and signed by the passenger giving his address and shall be considered by the owner of the stage carriage;

(xxvii) shall not while he is on duty, permit the vehicle to be used for illegal or immoral purpose;

(xxviii) shall not permit any petrol to be poured into the fuel tank while engine is in motion;

(xxix) in case of an accident to the bus, shall make all reasonable efforts to help the injured person and to inform the nearest Police Station immediately;

(xxx) shall help the infant, disabled, pregnant ladies, old aged passenger and ladies with child in arm, to board and alight the bus;

(xxxi) when the driver is taking the bus in reverse, shall get down from the bus and be on the look out for other motor vehicle or any other obstacle in the back of the vehicle and efficiently give signal to the driver;

(xxxii) shall not allow any explosive or dangerous or flammable substance to be carried in the bus either personally luggage or the cargo;

(xxxiii) shall ensure that when a vehicle is required to cross an unmanned railway crossing the conductor shall ask the driver to stop the vehicle before the crossing and the conductor shall get down and see the railway track on both sides and shall make sure that the way is clear. Thereafter the conductor shall give signal to the driver to cross the railway track;

(xxi) जहां छूत के या संक्रमण वाले रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का शव उस मंजिली गाड़ी में ले जाया गया है, वहां वह ऐसे तथ्य की रिपोर्ट निकटतम नगरपालिका, स्थानीय निकाय या सरकारी चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और यान के स्वामी को करने के लिये उत्तरदायी होगा और न तो वह स्वामी या न वह चालक किसी व्यक्ति को उस यान का उपयोग तब करवायेगा या करने की अनुमति देगा, जब तक चालक और परिचालक ने उस यान को उक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा बतायें गये तरीके से कीटाणुरहित नहीं कर दिया हो और उक्त चिकित्साधिकारी से इस बारे में एक प्रमाण–पत्र प्राप्त न कर लिया हो;

(xxii) वह पीछे से आने वाले मोटर यानों का ध्यान रखेगा और उनकी पहुंच के बारे में चालक को प्रभाव रूप से संकेत देगा;

(xxiii) सामान को चढ़ाने और उतारने में यात्रियों की मदद करेगा और मार्ग में सामान के गलत चले जाने या खो जाने को रोकने के लिये सब युक्तियुक्त सावधानी बरतेगा;

(xxiv) जब ड्यूटी पर हो, तो अपने दांये सीने पर 8 सेमी. ग 1 1/2 सेमी. आकार की एक प्लास्टिक की काली प्लेट प्रदर्शित करेगा, जिस पर उसका नाम 0.05 से.मी. साइज में मोटे सफेद अक्षरों में हिन्दी में होगा। इस प्लेट का मूल्य उसके द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा;

(xxv) जब ड्यूट पर हो, किसी मादक पेय या औषध के प्रभाव में नहीं रहेगा;

(xxvi) किसी यात्री के मांगने पर वह यात्री द्वारा चाहे गये रिमार्क्स लेखबद्ध करने के लिये उसे शिकायत पुस्तिका प्रस्तुत करेगा, जिसमें यात्री कोई वैध शिकायत मंजिली गाड़ी सेवा के बारे में लेखबद्ध करने का हकदार होगा। ऐसी शिकायतें–साफ–साफ लिखी जायेंगी और यात्री द्वारा अपना पता देते हुए हस्ताक्षरित की जायेंगी और मंजिली गाड़ी के मालिक द्वारा उन पर विचार किया जायेगा;

(xxvii) जब वह ड्यूटी पर हो, यान को किसी अवैध या अनैतिक प्रयोजन के लिये उपयोग में लेने की इजाजत नहीं देगा;

(xxviii) जब इंजिन चल रहा हो तो वह ईंधन की टंकी में पेट्रोल डालने की इजाजत नहीं देगा;

(xxix) बस की दुर्घटना के मामले में, घायल व्यक्तियों की मदद करने के सब युक्तियुक्त प्रयास करेगा और तुरन्त निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचना देगा;

(xxx) वह बच्चे, अपाहिज, गर्भवती महिलाओं, बूढ़े यात्रियों और गोद में बच्चे वाली महिलाओं की बस में चढ़ने और उतरने में मदद करेगा;

(xxxi) जब चालक बस को पीछे की ओर ले रहा हो, तो वह बस में से नीचे उतर जायेगा और यान के पीछे दूसरे मोटर यानों या अन्य रुकावटों का ध्यान रखेगा और दक्षता से चालक काक संकेत देगा;

(xxxii) व्यक्तिगत सामान या स्थोरा में किसी विस्फोटक या खतरनाक या ज्वलनशील पदार्थ को बस में ले जाने की अनुमति नहीं देगा;

(xxxiii) यह सुनिश्चित करेगा कि जब यान को किसी असुरक्षित रेलवे क्रासिंग को पार करना हो तो वह चालक को, पार करने से पहले यान को रोकने के लिये कहेगा और परिचालक नीचे उतरेगा और रेल मार्ग को दोनों ओर से देखेगा और सुनिश्चित करेगा कि रास्ता साफ है। इसके बाद परिचालक चालक को रेल मार्ग पार करने का संकेत देगा;

(xxxiv) shall on demand by any officer of the Motor Vehicle Department, not below the rank of a Motor Vehicles Sub-Inspector, produce all such vouchers, ticket books and any other document which such officer demands for his inspection.

3.10. Prohibition against holding more than one conductor's Licence.– (1) No person shall hold more than one conductor's licence.

(2) A conductor of a stage carriage shall on demand by any Police Officer in uniform, not below the rank of Sub-Inspector, or any officer of the Motor Vehicle Department, not below the rank of Motor Vehicles Sub-Inspector produce his licence for inspection:

Provided that if at any time his licence is demanded and instead of the conductors licence, the badge provided in Rule 3.15 is displayed, it shall be deemed to be sufficient compliance with this sub-rule, but he shall produce the conductors licence within 48 hours at any police station which he specified to the said Police Officer or Transport Officer making such demand.

3.11. Requirement of as to photograph.– (1) The copies of the photograph required by sub-section (3) of section 30 of the Act shall be of a passport size. The photograph shall be a front view and shall be in black and white colour on glazed paper.

(2) The photograph of the holder when affixed to a conductor's licence shall be sealed with the seal of Licensing Authority in such manner that part of the impression of the seal is upon the photograph and part on the margin.

(3) If at any time it appears to a Licensing Authority that photograph affixed to the conductor's licence has ceased to be clear likeness of the holder, the Licensing Authority may require the holder to surrender the conductor's licence forthwith and to furnish two clear copies of a recent photograph of himself and the holder shall, within such time as the Licensing Authority may specify, appear in person before the Licensing Authority and present the photograph accordingly.

(4) If the holder fails to comply with a requisition by the Licensing Authority under sub-rule (3) the conductor's licence shall cease to be valid from the date of expiry of the said period.

(5) Upon the receipt of the copies of photograph as provided in sub-rule (3), the Licensing Authority shall remove the old photograph from the conductor's licence and affix and seal thereto one copy of the new photograph and return the conductor's licence to the applicant and shall, if he is not the Licensing Authority by which the conductor's licence was issued, forward the one copy of the photograph to the authority which issued the licence; Provided that it the holder of the conductor's licence so desires, the Licensing Authority shall issue a duplicate conductor's licence with a new photograph affixed thereto and shall destroy the original conductor's licence. In such a case if the Licensing Authority is not the authority by which the conductor's licence was issued, it shall inform the original Licensing Authority.

(6) Where a new photograph is affixed to a conductor's licence, a note shall be made upon the photograph of the date of affixture.

(xxxiv) मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी द्वारा, जो मोटर यान सहनिरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो, मांग करने पर सभी ऐसे वाउचर, टिकट बुक और कोई अन्य कागजात, जो ऐसा अधिकारी निरीक्षण के लिये मांगे, प्रस्तुत करेगा।

3.10. एक से अधिक परिचालक लाइसेंस रखने का निषेध.— (1) कोई व्यक्ति एक से अधिक परिचालक लाइसेंस नहीं रखेगा।

(2) किसी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी, जो सब–इन्सपेक्टर से नीचे श्रेणी का न हो या मोटर यान विभाग के किसी अधिकरी, जो मोटर यान सह–निरीक्षक से नीचे श्रेणी का न हो, के द्वारा मांग करने पर वह अपना परिचालक–लाइसेंस निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगाः

परन्तु यदि किसी समय उसका लाइसेंस मांगा जाता है और उस लाइसेंस के बजाय नियम 3.15 में उपबन्धित बैज दिखा दिया जाता है, तो इसे इस उपनियम की पर्याप्त पालना समझा जायेगा, परन्तु ऐसा लाइसेंस 48 घण्टे के भीतर किसी पुलिस स्टेशन पर दिखाना होगा, जो उसने उक्त पुलिस अधिकारी या परिवहन अधिकारी को ऐसी मांग करने पर बता दिया था।

3.11. फोटोग्राफ सम्बन्धी अपेक्षायें.— (1) अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (3) द्वारा चाहे गये फोटोग्राफ की प्रतियां पासपोर्ट आकार की होंगी। फोटोग्राफ सामने के दृश्य का होगा और चिकने कागज पर काले व सफेद रंग में होगा।

(2) धारक का फोटोग्राफ जब परिचालक के लाइसेंस पर चिपकाया जाता है, तो उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी की मोहर से इस प्रकार अंकित किया जायेगा कि मोहर की छाप का एक भाग फोटोग्राफ पर रहे और दूसरा भाग मार्जिन पर।

(3) यदि किसी समय अनुज्ञापन प्राधिकरी को ऐसा प्रतीत होता है कि परिचालक के लाइसेंस पर लगा फोटोग्राफ उसके धारक से स्पष्ट मिलता जुलता नहीं है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी धारक को तुरन्त परिचालक लाइसेंस समर्पण करने और अपने नये फोटोग्राफ की दो साफ प्रतियां पेश करने को कहेगा और तब धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बताये गये समय के भीतर, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और तदनुसार फोटोग्राफ पेश करेगा।

(4) यदि धारक उप–नियम (3) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी की मांग की अनुपालना करने में असफल रहता है, तो उक्त अवधि की समाप्ति की दिनांक से उसका परिचालक का लाइसेंस विधिमान्य नहीं रह जायेगा।

(5) उप–नियम (3) में उपबन्धित प्रकार से फोटोग्राफ की प्रतियां प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी परिचालक के लाइसेंस पर से पुराना फोटोग्राफ हटा देगा और उस पर नये फोटोग्राफ की एक प्रति लगाकर उस पर मोहर लगायेगा और परिचालक का लाइसेंस आवेदक को वापस कर देगा। यदि वह एक ऐसा अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं है, जिसने वह परिचालक का लाइसेंस जारी किया था तो वह उस फोटोग्राफ की एक प्रति उस प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसने वह लाइसेंस जारी किया था; परन्तु यदि परिचालक लाइसेंस का धारक चाहे तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे परिचालक का डुप्लीकेट लाइसेंस नया फोटोग्राफ लगाकर जारी करेगा और मूल परिचालक लाइसेंस को नष्ट कर देगा। ऐसे मामले में यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने परिचालक लाइसेंस जारी किया था, तो वह मूल अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचना देगा।

(6) जहां परिचालक के लाइसेंस पर नया फोटोग्राफ लगाया जाये वहां उस फोटोग्राफ पर उसे लगाने की दिनांक की टिप्पणी की जायेगी।

(7) The fee for duplicate conductor's licence issued under the proviso to sub-rule (5) shall be as prescribed in rule 3.17.

3.12. Conductor's licence lost or destroyed.– (1) If at any time a conductor's licence is lost by the holder or is destroyed, the holder shall forthwith intimate the facts in writing in Form R.S. 3.7 to the Licensing Authority in whose area he has his place of the residence at the time.

(2) Upon the receipt of intimation as aforesaid the Licensing Authority shall if it is not the authority by whom the conductor's licence was issued, apply to that authority for particular of the conductor's licence and of any endorsement thereon and shall after making such enquiries as it thinks fit, if satisfied that a duplicate may properly be issue a duplicate conductor's licence and send intimation to the authority by which the conductor's licence was issued :

Provided that where a subsequent to the issue of a duplicate licence it is found that there has been an endorsement by a court since the date of the grant or last renewal of the licence, it shall be lawful for the Licensing Authority to call for the duplicate conductor's licence and make the necessary endorsement thereon.

(3) Where a photograph is required to be affixed to a duplicate conductor's licence issued under the provisions of these rules, the holder of the conductor's licence shall furnish the Licensing Authority with two clear copies of a recent photograph of himself one of which shall be affixed to the duplicate a conductor's licence and the other shall be transmitted by the authority issuing the duplicate conductor's licence to the authority by which the conductor's licence was issued.

(4) The fee for a duplicate conductor's licence issued under this rule shall be prescribed in rule 3.17

(5) Where a duplicate conductor's licence has been issued upon representation that a conductor's licence has been lost and the original conductor's licence is afterwards found or received by the holder, the holder shall immediately return it to the Licensing Authority.

(6) Any other person finding a conductor's licence shall deliver it to the nearest Police Station or the nearest Licensing Authority. The Officer-in-charge of the Police Station, on receipt of the conductor's licence, shall immediately forward it to the Licensing Authority. The Licensing Authority shall restore the conductor's Licence to the licencee in case duplicate conductor's licence has not been issued and shall substitute it for the duplicate in case such a duplicate has already been issued.

3.13. Defaced or torn conductor's licence.– (1) If at any time it appears to the Licensing Authority that a conductor's licence held by any person is so torn or defaced in any way as to cease to be reasonable legible, the Licensing Authority may impound the conductor's licence and issue a duplicate.

(2) If a conductor's licence impounded as aforesaid is required to have a photograph of the holder affixed thereto, then,–

(7) उप नियम (5) के परन्तुक के अधीन जारी किये गये डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस के लिये फीस नियम 3.17 में निर्धारित के अनुसार होगी।

3.12. परिचालक-लाइसेंस का खोना या नष्ट हो जाना.– (1) यदि किसी समय धारक द्वारा परिचालक का लाइसेंस खो जाये, या नष्ट हो जाये तो वह इस तथ्य की सूचना लिखित रूप से प्ररूप आर.एस. 3.7 में तुरन्त उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा, जिसके क्षेत्र में उस समय उसका निवास स्थान है।

(2) यथाउपर्युक्त सूचना मिलने पर अनुज्ञापन–प्राधिकारी, यदि वह ऐसा प्राधिकारी नहीं है, जिसने परिचालक–लाइसेंस जारी किया था, तो उस प्राधिकारी को परिचालक लाइसेंस और उस पर किसी पृष्ठांकन के विवरण के लिये प्रार्थना करेगा और जैसा वह उचित समझे वैसी जांच करने के बाद, यदि उसका समाधान हो जाता है कि डुप्लीकेट सही रूप से जारी किया जा सकता है, तो डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस जारी करेगा, और उस प्राधिकारी को सूचित करेगा, जिसने वह परिचालक–लाइसेंस जारी किया था:

परन्तु जहां डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने के बाद यह पाया जाये कि स्वीकृति या अन्तिम नवीकरण की दिनांक के बाद किसी न्यायालय ने उस पर पृष्ठांकन किया है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह उस डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस को मंगावे और उस पर आवश्यक पृष्ठांकन करे।

(3) जहां इन नियमों के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस पर फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित हो, वहां परिचालक–लाइसेंस का धारक अपने नये फोटोग्राफ की दो साफ प्रतियां अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा, जिनमें से एक डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस पर चिपका दी जायेगी और दूसरी उस प्राधिकारी को भेज दी जायेगी जिसने वह लाइसेंस जारी किया था।

(4) इस नियम के अधीन जारी डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस के लिये फीस नियम 3.17 में निर्धारित की जायेगी।

(5) जहां इस अभ्यावेदन पर डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस जारी किया गया कि परिचालक का लाइसेंस खो गया है और इसके बाद मूल परिचालक लाइसेंस मिल जाता है या धारक द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, तो धारक उसे तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी को लौटा देगा।

(6) वह व्यक्ति, जिसे परिचालक का लाइसेंस मिल जाये, उसे नजदीक के पुलिस स्टेशन या
...क के अनुज्ञापन प्राधिकारी को सौंप देगा। परिचालक का लाइसेंस प्राप्त होने पर, पुलिस स्टेशन
...क अधिकारी उसे तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी उस
...इसेंस को यदि डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस जारी नहीं हुआ है, तो उस लाइसेंस–धारक
...र यदि डुप्लीकेट जारी कर दिया गया है, तो इसे डुप्लीकेट के स्थान पर प्रतिस्थापित

...पित या फटा हुआ परिचालक लाइसेंस.– (1) यदि किसी समय अनुज्ञापन प्राधिकारी
... कि किसी व्यक्ति द्वारा धारित परिचालक का लाइसेंस फट गया है या इस प्रकार से
... है कि वह युक्तियुक्त रूप से स्पष्ट नहीं रह गया है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे
...सेंस को वापस ले लेगा और डुप्लीकेट जारी करेगा।

... कोई परिचालक लाइसेंस उपर्युक्त रूप से वापस ले लिया गया है और उस पर धारक
...गाना है, तो–

(a) in case the photograph on the impounded conductor's licence is, in the opinion of the Licensing Authority, satisfactorily and convenienty transferable to the duplicate conductor's licence the Licensing Authority may so transfer, affix and seal the photograph to the duplicate conductor's licence, or

(b) In case the photograph affixed to a conductor's licence impounded under the provisions of sub-rule (1) is not in the opinion of the Licensing Authority such as can be transferred to the duplicate conductor's licence, the holder of the conductor's licence, shall, on demand by the Licensing Authority, furnish two clear copies of a recent photograph of himself, one of which shall be affixed to the duplicate conductor's licence and sealed and the other shall be recorded by the Licensing Authority by which the conductor's licence was issued.

(3) The fee for a duplicate conductor's licence issued under this rule (in rule 3.17) shall be as prescribed.

3.14. Issue of duplicate conductor's licence.– (1) When a duplicate conductor's licence is issued under rule (3.12) & (3.13) it shall be clearly stamped "DUPLICATE" in red and shall be marked with the date of issue of the duplicate and the seal of the Licensing Authority.

(2) If the Licensing Authority which issues a duplicate conductor's licence is not the authority by which the conductor's licence was issued it shall intimate the fact to the authority.

(3) If the Licensing Authority which affixed a new photograph to a duplicate conductor's licence is not the authority by which the conductor's licence was issued it shall forward the one copy of the photograph to that authority for record.

3.15. Conductor's badge.– (1) The conductor of a stage carriage shall display on the left side of his chest a metal badge in the rectangular shape measuring 6 cms. x 4 cms. and inscribed with the name of the authority by whom the Conductor's licence is granted and the word "Parichalak" together with an identification mark.

Here mention the code of the district.	राजस्थान सरकार 14/251 परिचालक

(2) A conductor shall not hold more than one such badge issued by any Licensing Authority.

(3) The fee for issue of a conductor's badge as aforesaid shall be as prescribed in rule 3.17, if the badge is lost or destroyed, duplicate badge shall be issued by the authority which issued it on payment of prescribed fee in rule 3.17 by the authority which issued on an application made to it in Form R.S. 3.8. in case the original badge is later found, it shall be returned to the Licensing Authority.

(4) If at any time the conductor's licence is suspended or revoked by any authority or by any court or ceases to be valid by the efflux of time, the conductor shall, within 7 days, surrender his badge to the authority by which it was issued.

(क) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी के अभिमत में, वानपस लिये परिचालक लाइसेंस पर लगा फोटोग्राफ संतोषप्रद रूप से और आसानी से डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस पर बदला जा सकता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे इस प्रकार बदलकर चिपकाने के बाद डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस पर लगे उस फोटोग्राफ पर मोहर लगायेगा, या

(ख) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी के अभिमत में, उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन वापस लिये गये परिचालक के लाइसेंस पर लगा फोटोग्राफ ऐसा नहीं है कि उसे डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस पर बदला जा सके, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी की मांग पर परिचालक लाइसेंस का धारक अपने नये फोटोग्राफ की दो साफ प्रतियां देगा, जिनमें से एक उस डुप्लीकेट परिचालक–लाइसेंस पर चिपका कर मोहर लगायी जायेगी और दूसरी उस अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर रखी जायेगी, जिसने वह परिचालक लाइसेंस जारी किया था।

(3) इस नियम के अधीन जारी किये गये डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस के लिये फीस वह होगी, जो नियम 3.17 में निर्धारित की गई है।

3.14. डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस जारी करना.– (1) जब नियम (3.12) और (3.13) के अधीन डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस जारी किया जाता है, तो उस पर लाल स्याही में "डुप्लीकेट" की स्पष्ट मोहर लगाई जायेगी और डुप्लीकेट जारी करने की दिनांक और अनुज्ञापन प्राधिकारी की मोहर अंकित की जायेगी।

(2) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी जो डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस जारी करता है, वह प्राधिकारी नहीं है, जिसके द्वारा वह परिचालक लाइसेंस जारी किया गया था, तो वह इस तथ्य की सूचना उस प्राधिकारी को देगा।.

(3) यदि डुप्लीकेट परिचालक लाइसेंस पर नया फोटोग्राफ लगाने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी वह अधिकारी नहीं है, जिसके द्वारा वह परिचालक लाइसेंस जारी किया गया था, तो वह फोटोग्राफ की एक प्रति उस प्राधिकारी को अभिलेख के लिये भेजेगा।

3.15. परिचालक का बैज.– (1) मंजिली गाड़ी का परिचालक अपने सीने की बायीं ओर धातु का एक चौकोर बैज लगायेगा, जिसका आकार 6 से.मी. X 4 से.मी. होगा और उस पर उस प्राधिकारी का नाम जिसके द्वारा परिचालक लाइसेंस दिया गया और शब्द "परिचालक" मय पहचान चिन्ह के अंकित होंगे।

यहां जिले के कोड	**राजस्थान सरकार**
का उल्लेख होगा	**14/251**
	परिचालक

(2) परिचालक किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये एक से अधिक ऐसे बैज नहीं रखेगा।

(3) उपरोक्त प्रकार से जारी किये गये परिचालक के बैज की फीस वह होगी, जो नियम 3.17 में निर्धारित की गई है। यदि बैज खो गया है या नष्ट हो गया है, तो उस प्राधिकारी द्वारा जिसने उसे नियम 3.17 में निर्धारित फीस के संदाय पर जारी किया था, और उस प्राधिकारी द्वारा जिसने प्ररूप आर. एस. 3.8 पर दिये गये आवेदन पर जारी किया था, डुप्लीकेट बैज जारी किया जायेगा। ऐसे मामले में जब मूल बैज बाद में मिल जाता है, तो इसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को लौटा दिया जायेगा।

(4) यदि किसी समय किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा परिचालक लाइसेंस को निलंबित या प्रतिसंहरित कर लिया जाता है या समय बीत जाने पर वह विधिमान्य नहीं रह जाता है, तो परिचालक सात दिन के भीतर अपना बैज उस प्राधिकारी को वापस कर देगा, जिसने उसे जारी किया था।

(5) No conductor shall lend or transfer the badge to any person. Any person finding the badge shall, unless he returns the same to the person who he knows to be the holder, forthwith surrender it to the authority by which it was issued or to the nearest Police Station.

3.16. Effectiveness of conductor's licence issued by any other State.– (1) A conductor's licence issued by any other competent authority outside Rajasthan shall not be effective in Rajasthan unless countersigned by a Licensing Authority of Rajasthan or recognised under the reciprocal agreement.

(2) the holder of conductor's licence issued by competent authority of another State, at any time apply to the Licensing Authority in Form R.S. 3.10 for counter signature alongwith prescribed fee under rule 3.17.

(3) The applicant possesses a good moral character (Character Certificate.)

(4) The Licensing Authority after satisfaction shall countersign the licence and return the same to the holder.

[1][**3.17. Fees.–** The fees which shall be charged under the provisions of this Chapter shall be as specified in the Table below:–

TABLE

S. No.	**Purpose**	**Amount (in Rs.)**	**Rule**
1	2	3	4
1.	In respect of appeal under rule 3.8	Rs. 500/–	3.8
2.	In respect of duplicate conductor's licence	Rs. 300/–	3.11, 3.12 3.13, 13.2
3.	In respect of conductor's badge & duplicate badge	Rs. 300/–	3.15, 13.2
4.	In respect of countersignature of conductor's licence	Rs. 200/–	3.16]

CHAPTER IV
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES

[2][**4.1. Registering Authority.–** (1) The Registering Authority shall be the District Transport Officer so appointed for the District or the Transport Inspector specially authorised by the Transport Commissioner to perform the duties of the Registering Authority.

---

1. Noti. No. F. 7(4)/Pari/Rules/H.Q./11/92/12004, dt. 30.6.2015, S.O. 77 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.7.2015)
2. Subs. by G.S.R. 25, dated 24.6.2000 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 24.6.2000).

(5) कोई परिचालक अपना बैज किसी व्यक्ति को उधार नहीं देगा या अन्तरित नहीं करेगा। यदि व्यक्ति को बैज मिलता है और उसे उसी व्यक्ति को वापस नहीं करता है, जिसे वह जानता है कि रक है, तो उसे तुरन्त उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा यह जारी किया गया था या नजदीक के स्टेशन को सौंप देगा।

3.16. किसी अन्य राज्य द्वारा जारी परिचालक लाइसेंस की प्रभावशीलता.— (1) कोई लक लाइसेंस जो राजस्थान के बाहर के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, थान में तब तक प्रभावशील नहीं होगा, जब तक कि उस पर राजस्थान के अनुज्ञापन–प्राधिकारी प्रतिहस्ताक्षर नहीं कर दिये गये हों या आपसी करार द्वारा उसे मान्यता नहीं दे दी गई हो।

(2) किसी दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये परिचालक लाइसेंस का धारक भी समय अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये प्ररूप आर.एस. 3.10 में आवेदन 3.17 के अधीन निर्धारित फीस के साथ कर सकेगा।

(3) आवेदक अच्छा नैतिक चरित्र रखता है (चरित्र प्रमाण–पत्र)

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी अपने समाधान के बाद लाइसेंस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे धारक लौटा देगा।

[1][3.17. **फीस.**— फीस, जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन प्रभारित की जायेगी, निम्न दी गई सारणी में विनिर्दिष्टानुसार होगी:—

सारणी

प्रयोजन	राशि (रुपयों में)	नियम
2	3	4
नियम 3.8 के अधीन अपील के संबंध में	500/–	3.8
कण्डक्टर की अनुलिपि अनुज्ञप्ति के बारे में	रु. 300/–	3.11, 3.12 3.13, 13.2
कण्डक्टर के बैज और डुप्लीकेट बैज के बारे में	रु. 300/–	3.15, 13.2
कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति के प्रतिहस्ताक्षर के बारे में	रु. 200/–	3.16]

अध्याय—4

मोटरयानों का रजिस्ट्रीकरण

[2][4.1. **रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी.**— (1) रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी जिले के लिये इस रूप में नियुक्त गया जिला परिवहन अधिकारी या रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये न आयुक्त द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत परिवहन निरीक्षक होगा।

धि. सं. एफ. 7(4) परि./नियम/एच.क्यू./11/92/12004, दिनांक 30.6.2015, एस.ओ. 77 राज. राजपत्र विशेषांग भाग 4(ग)(1) दिनांक 1.7.2015 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

एस.आर. 25, दिनांक 24.6.2000 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 24.6.2000 पर शित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।